रजिस्ट्री सं. डी--(डीएन)--73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1982 (वैशाख 4, 1904)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1982 (VAISAKHA 4, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3
[PART I—SECTION 3]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence]

नई दिल्ली, दिनाक 24 अप्रैल 1982

संकल्प

सं० 4, दिनांक 1 अप्रैल, 1982—प्रादेशिक सेना के गठन के उद्देश्य तथा उसकी भूमिका और अन्य संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति एक समिति नियुक्त करने का निदेश देते है जिसका गठन और निर्देश पद इस प्रकार होंगे :—

I. गठन :

(1) मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह स्पैरो (सेवा-निवृत्त), संसद सदस्य — अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

(2) श्री के० लकप्पा, संसद सदस्य

(3) ब्रिगेडियर बन्त सिंह, ए० वी० एस० एम० (सेवा-निवृत्त)

(4) लेफ्टि० कर्नल एम० श्रीवास्तव, वी० एस० एम० (सेवा-निवृत्त)

सरकारी सदस्य

(5) स्टाफ ड्यूटी निदेशक, थल सेना मुख्यालय

(6) संयुक्त सचिव (जी), रक्षा मंत्रालय

(7) अपर वित्त सलाहकार (एस), वित्त (रक्षा) मंत्रालय

(8) प्रादेशिक सेना निदेशक, थल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली—सदस्य-सचिव

II निर्देश पद :

(क) प्रादेशिक सेना के गठन के उद्देश्य और उसकी भूमिका का अध्ययन करना और अगर प्रादेशिक सेना की भूमिका में संशोधन की जरूरत हो तो उसके बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना;

(ख) सिफारिशों के अनुसार प्रादेशिक सेना की भूमिका के संदर्भ में यूनिटों के गठन और उनके स्वरूप का मूल्यांकन करना;

(ग) प्रादेशिक सेना को अधिक कारगर बनाने के लिए और विशेष रूप से प्रादेशिक सेना में नियमित थल सेना अफसर काडर के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करना;

(घ) प्रादेशिक सेना को अधिक कारगर बनाने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करना :—

(i) प्रादेशिक सेना कार्मिकों की भावी पदोन्नति के अवसर बढ़ाना और

(ii) प्रादेशिक सेना के सेवारत और सेवा-निवृत्त कार्मिकों के कल्याण संबंधी उपाय;

(ङ) प्रादेशिक सेना की छवि सुधारने के उपाय सुझाना जिनमें प्रचार कार्य भी शामिल हो;

(च) "प्रादेशिक सेना समिति रिपोर्ट, 1970" की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(छ) और प्रादेशिक सेना में बेरोजगारों को खपाने के लिए विशेष सिफारिशें प्रस्तुत करना ।

2. समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

3. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित 5 सितम्बर, 1960 के का० ज्ञा० सं० 6(26)/बी०/IV/59 में दी गई दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिए जाएंगे ।

4. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त का सूचना थलसेनाध्यक्ष और वित्त सलाहकार, वित्त (रक्षा) मंत्रालय को भेजी जाए ।

5. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सूचना सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० ए० नाम्बियार, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th April 1982

RESOLUTION

No. 4, dated 1st April 1982.—The President is pleased to appoint a Committee to go into the concept and role of the Territorial Army and other allied issues with the following Composition and Terms of Reference :—

I. *Composition* :

Chairman

(1) Maj Gen Rajinder Singh Sparrow (Retd), MP.

Non-official Members

(2) Shri K Lakkappa, MP.

(3) Brig Bant Singh, AVSM (Retd).

(4) Lt Col M Shrivastav, VSM (Retd).

Official Members

(5) Director of Staff Duties.
Army Headquarters.

(6) Joint Secretary (G),
Ministry of Defence.

(7) Additional Financial Adviser (S),
Ministry of Finance (Defence).

Member-Secretary

(8) Director of Territorial Army,
Army Headquarters, New Delhi.

II. *Terms of Reference* :

(a) to go into the concept and role of the Territorial Army and to recommend whether there is any need to modify the role of the Territorial Army and if so, to recommend the role, as envisaged;

(b) to assess the strength and type of Units, to be raised for the role envisaged;

(c) to suggest measures to make Territorial Army more effective with particular reference to the regular Army officers' cadre in TA;

(d) to recommend measures to make Territorial Army more attractive with particular reference to :—

(i) improvement in career prospects of Territorial Army personnel and

(ii) Welfare measures for serving and retired Territorial Army personnel;

(e) to recommend measures, including publicity to improve the image of Territorial Army;

(f) to report on the implementation of recommendations made in "The Territorial Army Committee Report, 1970; and

(g) to submit specific recommendations with regard to induction of unemployed individuals into the Territorial Army.

2. The committee will submit its report within 3 months.

3. The non-official members of the Committee will be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the committee at the rates sanctioned in the Ministry of Finance Office Memorandum No. 6(26)/B/IV/59 dated the 5th September, 1960, as amended from time to time.

4. ORDERED that the foregoing be communicated to the Chief of the Army Staff and Financial Adviser, Ministry of Finance (Defence).

5. ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, All Ministries and Departments of the Govrenment of India.

6. ALSO ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

K A NAMBIAR, Jt Secy (G).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982